महाविद्यालय में हुआ व्याख्यान कार्यक्रम

करौली(नि.स.)। राजकीय महाविद्यालय करौली में शोध एवं विकास प्रकोष्ठ के तत्वाधान में व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। व्याख्यान में डॉ मदन मोहन शर्मा प्रोफेसर मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर ने बताया की जैव प्रौद्योगिकी वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण विषय है तथा इसका भविष्य में बहुत उपयोगी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग चिकित्सा उत्पादों जैसे हार्मोन,मोनो क्लोनल प्रतिरक्षी टीके,कृषि क्षेत्र में खरपतवारों पर नियंत्रण,पर्यावरण के क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पाद के निम्नीकरण व औद्योगिक इकाइयों के बहि स्त्रावो में उपस्थित अविषालु पदार्थ के निरिविफन में उपयोगी साबित होती है औद्योगिक क्षेत्र में भी जैव प्रौद्योगिकी की कई महत्वपूर्ण प्रयोग बताएं उन्होंने एथिलीन,ग्लाइकोल,अल्कोहल, एंजाइम,बायोगैस आदि इस विधि से कम मूल्य पर तैयार किया जा सकते हैं। शोध एवं विकास प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉ लीना शर्मा ने ऊतक संवर्धन की उपयोगिता व महत्व के बारे में बताया व्याख्यान में एम.एससी. के विद्यार्थी व सकाय सदस्य डॉ सीताराम खंडेलवाल, राम सिंह मीणा, डॉ महेश चंद मीणा, कालू लाल मीणा व प्रयोगशाला स्टाफ उपस्थित रहे।

संभागीय आयुक्त ने रात्रि चौपाल कर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

भरतपुर (निस)। संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने शुक्रवार को छौंकरवाडा में रात्रि चौपाल का आयोजन कर आमजन की समस्याओं को सुन विद्युत, पेयजल एवं चिकित्सा सहित अन्य परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान करीब 30 परिवाद प्राप्त हुये। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों द्वारा संभागीय आयुक्त को बिजली कटौती, विद्युत कनेक्शन, पेयजल, सडक, जलभराव आदि से संबंधित शिकायतों को रखा गया जिस पर आयुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों की जांच कर परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गये। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बरसात के मौसम को देखते हुये जलभराव के स्थानों को चिन्हित कर पानी निकासी की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को मौसमी बीमारियों के मध्येनजर उचित दवा भण्डारण सुर्निनिश्चत करने को कहा। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत पेयजल कनेक्शनों की अधिक शिकायतें प्राप्त होने पर पीएचईडी विभाग के अधिकारियों को अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय करते हुये निर्धारित समय में पेयजल कनेक्शन

संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने छौंकरवाडा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया।

उपलब्ध करवाकर शुद्व पेयजल आपूर्ति करने के निर्देश प्रदान किये। संभागीय आयुक्त ने उपखण्ड अधिकारी वैर सचिन यादव को नियमित तौर पर उपखण्ड स्तरीय कार्यालयों, चिकित्सा संस्थानों, आंगनबाडी केन्द्रों आदि का निरीक्षण कर आधारभूत सुविधाओं की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। संभागीय आयुक्त ने काश्तकारों से संबंधित समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया की जानकारी ली तथा निर्धारित समयावधि में समस्याओं के निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि किसानों को छोटे-छोटे कार्यों के लिये विभागों के चक्कर नहीं लगाने पडें इसके लिये स्वप्रेरित होकर क्षेत्र में चिन्हित समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि भूमि पैमाइश, सीमा ज्ञान, पत्थरगढी, रास्तों के अतिक्रमण संबंधी आवेदनों का प्राथमिकता से निस्तारण करें जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं हो। उन्होंने निर्देशित किया कि किसानों को फसल बीमा एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिये जमाबन्दी आदि के लिये चक्कर नहीं लगाने पडें यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने आमजन से प्राप्त होने वाले परिवादों, ऑनलाईनपोर्टल एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाली शिकायतों को संवेदनशीलता से लेते हुये शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये।

लापरवाह कार्मिकों पर करें कार्यवाही

संभागीय आयुक्त ने रात्रि चौपाल के दौरान आमजन को सुविधा हेतु रसीद व्यवस्था एवं परिवाद रजिस्टर संधारित नहीं करने व अन्य अव्यवस्थाऐं पाये जाने पर नाराजगी जताते हुये संबंधित भुसावर बीडीओ एवं ग्राम विकास अधिकारी को व्यवस्थाऐं सुधारने के लिये सख्त निर्देश प्रदान किये एवं उपखण्ड अधिकारी को कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश प्रदान किये। इस दौरान उपाधीक्षक वृत भुसावर धर्मेन्द्र कुमार, एसएचओ भुसावर सुनील कुमार गुप्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित संबधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

युवक की मौत

करौली, (निसं)। करौली के मासलपुर थाना क्षेत्र के छाबर गांव में पीने के लिए पानी भरने गए खनन मजदूर की स्टार्टर में करंट आने से मौत हो गई। मृतक का शव करौली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मासलपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पश्चिम मध्य रेल

भाग – 1 (ख) महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवम उपखंड अधिकारी वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी
अधिसूचना, गंगापुर सिटी, मई 23, 2024

भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) संख्या– 7417923, भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिकार 2016 के प्रावधानुसार एवम राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप–6 विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1 150 राज0/6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार गंगापुर सिटी जिले तहसील वजीरपुर (ग्राम–मोहचा, खण्डीप) एल. सी. नंबर 192 पर रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित्त है।

ग्राम– खण्डदीप विवरण

क्र.सं.	खसरा सं.	कुल रकबा (है.)	अवाप्त किए जाने वाला क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4
1	1356	0.2900	0.850
2	1359	0.1300	0.0330
3	1360	0.1300	0.04
4	1361	0.2800	0.09
5	1364	0.3000	0.02
6	1346	0.4000	0.05
7	1368	0.2500	0.04
8	1369	0.5000	0.04
9	1370	0.7700	0.01
10	4758/102	0.0100	0.01
11	4759/103	0.0100	0.01
12	4760/135	0.0200	0.02
13	1388	0.0100	0.01
14	1389	0.1100	0.08
15	1390	0.3400	0.15
16	1387	0.6600	0.02
17	1392	0.7000	0.10
18	1393	0.4500	0.02
19	1394	0.3800	0.02
20	1396	0.3300	0.05
21	1399	0.8800	0.13
22	4776/1399	0.0400	0.130
23	4615/1399	1.2500	0.130
24	1403	0.1200	0.12
25	1404	0.2100	0.05
26	1405	0.1800	0.000593
27	1408	0.6100	0.11
28	1409	0.1000	0.04
29	1410	0.2700	0.04
30	1425	0.0200	0.03
31	1671	0.1300	0.10
32	1671/4428	0.2000	0.20
33	1680	1.2500	0.02
34	1672	1.0700	0.20
35	4761/1356	0.0300	0.033736
36	4762/1359	0.0100	0.000384
योग	किता 36		3.294713

ग्राम– मोहचा विवरण

क्र.सं.	खसरा सं.	कुल रकबा (है.)	अवाप्त किए जाने वाला क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4
1	124	0.5100	0.0008
2	125	0.1000	0.0018
3	1668/125	0.0400	0.0104
4	1604/125	0.1000	0.0018
योग	किता 5		0.0148

भाग – 1 (ख) महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवम उपखंड अधिकारी भरतपुर जिला भरतपुर
अधिसूचना, भरतपुर, मई 23, 2024

भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) संख्या 7428977: भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2016 के प्रावधानुसार एवम राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप–6 विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1 150 राज0/6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार भरतपुर जिले की तहसील भरतपुर (ग्राम – जघीना, तोंगा) एल. सी. नंबर 246 पर रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित्त है।

ग्राम– जघीना विवरण,

क्र.सं.	खसरा सं.	कुल रकबा (है.)	अवाप्त किए जाने वाला क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4
1	8121	0.19	0.0058
2	8121/10545	0.1000	0.0064
3	8125/10546	0.1100	0.003
4	8125	1.0100	0.0142
5	8126	0.3200	0.0116
6	8128	0.100	0.0095
7	8129	0.19	0.0026
8	8130	0.51	0.0542
9	10577/8157	1.08	0.0028
10	8157/10714	0.11	0.0035
11	8140	0.32	0.0031
12	8139	0.29	0.001
13	8138	0.42	0.0014
14	8133	1.34	0.0402
15	10187	0.33	0.0226
16	10188	0.43	0.0384
17	10576/8157	0.014	0.0013
18	8132	0.06	0.0132
19	8131	0.98	0.9888
20	8112	0.68	0.1824
योग	किता		1.406

ग्राम – तोंगा विवरण

क्र.सं.	खसरा सं.	कुल रकबा (है.)	अवाप्त किए जाने वाला क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4
1	587	0.3200	0.0210
2	604	0.2500	0.0200
3	609	0.1100	0.0200
4	610	0.2100	0.0076
5	605	0.2600	0.0140
6	612	0.1800	0.0168
7	607	0.4200	0.0300
8	615	0.3200	0.0448
9	614	0.3000	0.0304
10	613	0.3700	0.0140
11	617	0.6300	0.0450
12	608	0.8300	0.8300
13	616	0.3400	0.3400
योग	किता		1.4336

उपरोक्त सभी भूमि के अधिसूचित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11 (1) के प्रावधानों के तहत की जाएगी। सरकार दवारा अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड गंगापुर सिटी, खण्ड भरतपुर सिटी व उनके स्टाफ/कर्मचारी को इलाके में किसी भी भूमि का सर्वे, नाप व लेवल के लिए प्रवेश करने, भूमि के नीचे मिटटी की जांच के लिए बोरकरने व परियोजना केकिर्यान्वन व उचित निर्माण के लिए, अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा होने के समय तक प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का जिला कलेक्टर महोदय की अनुमति के बिना कोई सव्यवहार नहीं करेगा या कोई सव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड गंगापुर सिटी, खण्ड भरतपुर, द्वारा सामाजिक समाघात हेतु एजेन्सी का चयन करवाया जायेगा। सामजिक समाघात निर्धारण हेतु चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2016 के प्रावधानुसार किया जावेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। 1. संस्थान द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी। 2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवो में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार–प्रसार के उपरांत जनसुनवाई की जावेगी। जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा। 3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों। आपतियों के समुचित समाधा को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवम सामाजिक समाघात प्रबंध रिपोर्ट तैयार की जावेगी। 4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गावों में संबंधित पंचायत/नगर पालिका के परामर्श से की जावेगी। 5. सामजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद का अक्रत और शूल्य बना देगा। 6. सामाजिक समाधान निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि में पूर्ण संपूर्ण कराया जाना अनिवार्य है।

सुनील गुप्ता, सयुक्त सचिव (पथ), सा.नि.वि.राज.जयपुर

20वीं पुण्यतिथि मनायी

भरतपुर (निस)। सीताराम भटटेवाले स्मृति आयोजन समिति के द्वारा उनकी 20वीं पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रविवार को स्मृति आयोजन में संत प्रवचन, भजन संध्या एवं प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम आयोजित होगा। समिति के संयोजक रवि सिंधल के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघचालक व प्रमुख समाजसेवी रहे स्व. सीताराम भटटेवालों की 20वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम वासन गेट स्थित असीम कृपा मैरिज होम में शाम साढे छ बजे होगा।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मगोपाल चतुर्वेदी एवं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रान्त संघचालक महेन्द्र सिंह मग्गो होंगे।

आध्यात्मिक संदेश सिद्व पीठाधीश्वर डॉ स्वामी कौशल किशोर दास महाराज, खोहरी का प्राप्त होगा। इसके साथ ही कार्यक्रम में भजन संध्या एवं भरतपुर के सभी आदर्श विद्या मंदिरों के कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सर्वोच्च अंक लाने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान कर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

जनसुनवाई में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

करौली (नि.स.)। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने कहा कि जनसुनवाई व रात्रि चौपाल मे आमजन एवं ग्रामीणों से पेयजल,ा विद्युत,चिकित्सा,सडक, पेंशन सहित अन्य विभागों से प्राप्त समस्याओं को जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी राज्य सरकार की मंशा के अनुसार समय सीमा मे निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

उन्होने वर्षा के मौसम को देखते हुए आमजन व ग्रामीणों से अधिक से अधिक पौधे लगाने, प्रति व्यक्ति द्वारा कम से कम एक पौधे लगाने की अपील की एवं मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान के तहत तलाई खोदने, एनीकट बनवाने सहित अन्य जल संरक्षण के कार्यो मे ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने की भी बात कही जिससे भू जल स्तर बढ सके।

जिला कलेक्टर शुक्रवार को ग्राम पंचायत बुगडार मे आयोजित रात्रि चौपाल मे आमजन की समस्याओं पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे।

जनसुनवाई के दौरान अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। ग्रामीणों के द्वारा एनएफएसए मे नाम जुडवाने, निर्बाध रूप से बिद्युत सप्लाई जारी रखने, वन विभाग के जमीन मे रास्ता दिलवाने, आंगनबाडी केन्द्र व पशु स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने, सानिवि के रास्ते को बनवाने, मनरेगा के तहत कार्य दिलवाने, पोषाहार उपलब्ध करवाने, खेल मैदान बनवाने, जल जीवन मिशन के कार्यो को पूर्ण करने, हैंडपंप को ठीक करवाने, शमसान की चार दीवारी करवाने सहित कुल 45 प्रकरण प्राप्त हुए, सुनवाई के दौरान 9 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

इस पर जिला कलक्टर ने प्रत्येक प्रकरण की व्यक्तिगत सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्रता से नियमानुसार कार्यवाही करने एवं आमजन को लाभान्वित करवाने के निर्देश दिये।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस विभाग के अधिकारी समय नही पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त की, बाद में संबंधित थानाधिकारी जनसुनवाई में पहुंचे।

जनसुनवाई मे जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने सभी प्राप्त प्रकरणों को दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये। जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजवीर सिंह चौधरी,उपखंड अधिकारी मंडरायल व जिला रसद अधिकारी बृजेश गुप्ता, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. वी. डी शर्मा, पशुपालन के संयुक्त निदेशक डॉ जी एस मीना, सानिवि के अधीक्षण अभियंता एन.के जोशी, पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता परशुराम वर्मा, सहकारिता के उपरजिस्ट्रार अवतार सिंह मीना, बुगडार सरपंच संतरा जाटव, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के सहायक निदेशक धर्मेन्द्र मीना, बिजली विभाग के एसी जौहरी लाल मीना सहित ब्लॉक एवं जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।

बच्चों एवं परिजनों से मिले जिला प्रभारी मंत्री

करौली (नि.स.)। गृह, गौपालन, पशुपालन एवं डेयरी मतस्य विभाग के राज्य मंत्री एवं करौली जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम शुक्रवार को एसएमएस हॉस्पीटल जयपुर पहुंचे और गुरूवार को करौली जिले के सपोटरा उपखंड के बूकना गांव मे करंट हादसे मे झुलसे बच्चों एवं उनके परिजनों से मिले और उनके परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। जिला प्रभारी मंत्री बेडम ने इस संबंध मे चिकित्सा अधिकारियों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने एवं विशेष देखभाल करने के निर्देश दिये। जिला प्रभारी मंत्री के गुरूवार को करौली जिले के दौरे के दौरान सपोटरा की ग्राम पंचायत बूकना मे परिजनों के घर जाकर उन्हे आर्थिक सहायता का भी आश्वासन दिया।

सीताराम गुर्जर बने एबीवीपी के प्रदेश संयोजक

गंगापुर सिटी । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश व राष्ट्रीय समिति ने मिर्जापुर उघाडमल बालाजी निवासी सीताराम गुर्जर को एबीवीपी एसएफएस प्रदेश संयोजक का दायित्व सौपा गया है।

‘नवनियुक्त कार्मिक समय प्रबंधन एवं कार्य प्रबंधन पर दे ध्यान’

गंगापुर सिटी । मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का राज्य स्तरीय समारोह टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ऑडिटोरियम मानसरोवर जयपुर में शनिवार को आयोजित हुआ। जिसमें वीसी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करीब 2० हजार नव नियुक्त/नव चयनित कार्मिकों से संवाद स्थापित किया।

गंगापुर सिटी में जिला स्तरीय कार्यऋम विजय पैलेस मैरिज होम में आयोजित किया गया, जहां कलेक्टर डॉ. गौरव सैनी ने 12० नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर एसपी सुजीत शंकर, एसडीएम अनूपसिंह सहित कई अधिकारी और नवनियुक्त कर्मचारी मौजूद रहे।

इस दौरान कार्यक्रम को वीसी के माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता राजस्थान के युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने करीब 2० हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के रिक्त पदों का हर महीने कैलेन्डर तैयार कर निर्धारित समयावधि में भर्ती निकालने का कार्य उनके नेतृत्व में किया जाएगा। वहीं कौशल एवं उद्योग विभाग के माध्यम से भी हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने का कार्य उनकी सरकार करेगी।

विकास अग्रवाल एबीवीपी के जिला संयोजक

धौलपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत का चार दिवसीय प्रांत अभ्यास वर्ग 27 जून को टोंक में सम्पन्न हुआ।

इस वर्ग में जयपुर प्रान्त के विभिन्न जिले से प्रमुख कार्यकर्ताओ ने अभ्यास वर्ग में भाग लिया।

जिसमें प्रांत अध्यक्ष डॉ जिनेश जैन एवं प्रांत मंत्री अभिनव सिंह ने आगामी कार्यक्रम की योजना व कार्यकारिणी की घोषणा की।

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक करौली (राज.)

क्रमांक:–व–15()सामा./करौली/2024/9709–18 दिनांक: 28.06.2024

खुली निविदा सूचना

जिला पुलिस अधीक्षक करौली के अन्तर्गत आने वाले थानों/कार्यालय एवं पुलिस चौकियों के कम्प्यूटरर्स एवं हार्डवेयर उपकरणों की मरम्मत हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध वर्ष 2024–25 के लिए (एएमसी) एवं कम्प्यूटर /प्रिन्टर/ यूपीएस हार्डवेयर के स्पेयर पार्टस की मोहर बन्द निविदाऐं आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 08.07.2024 को अपरान्ह 02.00 बजे तक प्राप्त की जावेंगी। प्राप्त निविदाऐं उसी दिनांक 08.07.2024 को निविदा दाताओं के समक्ष अपरान्ह 3.00 बजे खोली जावेंगी।

क्र0 स0	नाम आईटम	अनुमानित राशि	निविदा फार्म	धरोहर राशि
1.	कम्प्यूटर/प्रिन्टर/यूपीएस/स्कैनर के कन्ज्यूमेबल आईटम की दर संविदा के उपकरणों की दरों का वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध।	3.00 लाख	200/–रू0	6000/–रू0

<u>नोट :–</u> बिड प्रपत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज निर्धारित बिड प्रपत्र शुल्क, कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक करौली में किसी भी कार्य दिवस को पोस्टल आर्डर/ डी.डी./ चैक जमा करवाकर दिनांक 08.07.2024 को दोपहर 01.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं या वेबसाईट karaulipolice.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurment Portal से भी डाउनलोड किया जा सकता है डाउनलोड किये गये बिड प्रपत्र का प्रारूप निर्धारित शुल्क बिड दाता द्वारा पृथक से पोस्टल आर्डर/डी.डी./चैक कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक करौली के नाम से बिड के साथ संलग्न करना होगा। देरी से प्राप्त निविदादाताओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा शर्तें वेबसाईट पर देखी जा सकती हैं।

निविदा से संबंधित शर्ते व कराये जाने वाले कार्य का विवरण :–

निविदा सूचना के साथ कम्प्यूटर संबधी निम्न सामान/मरम्मत कार्य की सूची संलग्न हैं। निविदा के साथ अमानत राशि नियमानुसार जमा करानी होगी । अमानत राशि के अभाव मे निविदा अमान्य होगी। सामान की दर प्रति नग मय समस्त टैक्स सहित तथा सप्लाई किये जाने वाले कम्पनी के मेक सहित अंकित करनी होगी। किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा। निविदादाता फर्म निविदा प्रपत्र मे अपना टिन नम्बर अवश्य अंकित करे। निविदादाता को टैक्स एवं वेट क्लीरियेंस प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा । निविदादाता फर्म को रिपेयर कार्य इस कार्यालय के बुलाने पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक करौली मे ही उपस्थित रहकर या थानों पर स्थित कम्प्यूटर्स में सम्बन्धित स्थान पर जाकर करना होगा अन्यथा अमानत राशि जप्त कर टैण्डर निरस्त कर दिया जावेगा। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर या किसी प्रकार की गडबडी एवं पार्ट्स बदलने आदि की कार्यवाही पाये जाने अनुबंध को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। सप्लाई किया जाने वाला सामान ऑरीजनल होगा। निविदा की अवधि घटाने एवं बढाने का अधिकार पुलिस अधीक्षक, करौली का होगा। बिड प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। कार्य आदेश के अनुसार कार्य सम्पादित कर सम्बन्धित कार्यालय/थाना/चौकी/शाखा प्रभारी से बिल प्रमाणित एवं स्टॉक प्रविष्टी, सील मोहर अंकित करवाकर इस कार्यालय में एक माह के अन्दर अनुबन्ध एर्जेसी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

जिला पुलिस अधीक्षक,
करौली

प्री-बीएसटीसी परीक्षा आज

करौली (नि.स.)। करौली जिले में फ्री बीएसटीसी की परीक्षा में जिले के 57 सेंटरों पर 18701 अभ्यर्थी बैठेंगे जिसकी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है।

आज रविवार को करौली जिले में प्री–बीएसटीसी की परीक्षा आयोजित होगी जिसकी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है परीक्षा के जिला समन्वयक पीजी कॉलेज प्राचार्य विश्राम बैरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा में कुल 18701 अभ्यर्थी भाग लेंगे और जिले के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उन्होंने बताया कि करौली में 23 विद्यालय कॉलेज और हिंडौन में 34 सरकारी गैर सरकारी स्कूल कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाया गये है।

मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का हुआ आयोजन

करौली(नि.स.)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार निरंतर भर्तियां कर रही हैं। विभिन्न विभागों में जो भी रिक्त पद होंगे, उनका कलेंडर तैयार किया जाएगा। लगातार भर्तियां निकाल कर उन्हें भरेंगे। इसी तरह के रोजगार उत्सव होते रहेंगे। युवाओं को रोजगार के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। औद्योगिक विकास भी होगा।

मुख्यमंत्री शनिवार को जयपुर में टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव प्रदेश स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। विभिन्न विभागों में नवनियुक्त लगभग 20 हजार अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली युवा पीढ़ी हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। प्रदेश के युवाओं से रोजगार का वादा किया था। हम धीरे–धीरे इस ओर बढ़ रहे हैं। सरकार लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में नवनियुक्त कार्मिकों को सौंपी वेलकम किट सूचना केन्द्र के टाउन हॉल में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर एवं जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं दी और मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।

कार्यक्रम के दौरान विधायक एवं जिला कलेक्टर ने नवनियुक्त कार्मिक शुचि जैन अध्यापक एवं अभिषेक शर्मा रेडियोग्राफर को वेलकम किट देकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर लगभग वन विभाग के 93, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 84, शिक्षा विभाग के 120 एवं अन्य विभागों के 3 नवनियुक्त कार्मिक उपस्थित रहे।

अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ी महिलाएं

भरतपुर(निस)। जिले के हलैना थाना क्षेत्र में तीन महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गई। कुछ महिलाएं पानी की टंकी के नीचे धरना देने बैठ गई। महिलाओं का कहना है कि उनके कस्बे की पोखर पर एक दबंग ने अतिक्रमण किया हुआ है। जिसके कारण गांव का गंदा पानी पिछले 1 साल से उनके घरों के बाहर भरा हुआ है। बारिश के बाद अब वह पानी उनके घरों के अंदर आ रहा है। पिछले 1 साल में महिलाओं ने संभागीय आयुक्त से लेकर एसडीएम तक शिकायत दी लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुन्नी देवी, सुखबीरी, इंद्रा निवासी वैर रोड़ तीनों महिलाएं टंकी पर चढ़ गईं। तीनों ने बताया की, कस्बे में एक ढाई बीघा की पोखर है। जिसकी आधा बीघा जमीन पर गांव के एक दबंग व्यक्ति ने कब्ज़ा कर दुकानें बना ली हैं।

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक करौली

क्रमांक:स्टोर/स्टेशनरी निविदा/2024-25-296-308 दिनांक: 29.6.2024

संशोधित खुली निविदा सूचना

वर्ष 2024-25 के लिये स्टेशनरी/विविध सामग्री क्रय किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 272-84 दिनांक 21.6.2024 के द्वारा खुली निविदा आयोजित की गई थी। उक्त निविदा को दिनांक 28.6.2024 को दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिनांक को निविदा दाताओं के समक्ष खोली जानी थी, चूकि उक्त निविदा नियम समय तक अखबार में प्रकाशित नही होने के कारण उक्त निविदा की समय सीमा सात दिवस बढाकर अब दिनांक 5.7.2024 को आमन्त्रित की जाती है। उक्त निविदा के लिये निविदा दाताओं के दिनांक 5.7.2024 को निविदा प्राप्त कर उसी दिनांक को खोली जावेगी। शेष नियम शर्तें यथावत रहेगी।

जिला पुलिस अधीक्षक
करौली।